

क्रमांक 291-ज(I)-85/9493.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में प्रपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सीपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यराज. श्री दिलनाग सिंह, पुत्र श्री जगत सिंह, गांव धीन, तहसील अम्बाला, जिला अम्बाला, को खरीफ, 1974 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहस्र प्रदान करते हैं।

दिनांक 28 मार्च, 1985

क्रमांक 342-ज(I)-85/10078.—श्री चुन्नु राम, पुत्र श्री ज्ञानी राम, मकान नं० 491, प्रताप नगर, गुड़गावां, की दिनांक 22 नवम्बर, 1984 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में प्रपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री चुन्नु राम की मुम्बिनग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 581-ज(II)-79/18003, दिनांक 19 अप्रैल, 1979, द्वारा मंजूर की गई थी अब उसकी विधवा श्रीमती लाजवन्ती के नाम खरीफ, 1985 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

शुद्धि-पत्र

क्रमांक 316-ज(II)-85/10083.—हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक 51-ज(II)-85/3287, दिनांक 30 जनवरी, 1985, जो हरियाणा सरकार के राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 1985 को प्रकाशित हुई है, की दूसरी लाईन में मृत्यु की दिनांक 4 दिसम्बर, 1985 की बजाये 4 दिसम्बर, 1982 पढ़ा जाए।

टी. आर. तुली,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

AGRICULTURE DEPARTMENT

The 27th February, 1985

No. 1279/AS.—In exercise of the powers conferred by rule 10 of the Punjab Market Committees (Chairman-Vice Chairman Election) Rules, 1961, I, I. D. Kaushik, H. C. S., Additional Collector, Karnal-cum-Presiding Officer, Market Committee, Nilokheri, hereby notify that Shri Man Singh, son of Shri Neki Ram, Village Pujam, Post Office Nilokheri, has been elected as Chairman of the said Committee.

The notification has been pasted on the notice board of the said Committee.

I. D. KAUSHIK,

H. C. S.,

Presiding Officer-cum-Additional
Collector, Karnal.

कृषि विभाग

दिनांक 27 फरवरी, 1985

नं० 1279/ए एस०.—पंजाब मण्डी समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (चुनाव) नियम, 1961 के नियम 10 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आई० डी० कौशिक, एच० सी० एस०, (अतिरिक्त कलेक्टर) प्रधान अधिकारी इसके द्वारा अधिसूचित करता हूँ कि श्री मान सिंह, पुत्र श्री नेकी राम, ग्राम पूजम, डाकखाना नीलोखेड़ी उक्त मण्डी समिति के अध्यक्ष चुने गये हैं।

इस अधिसूचना को उक्त मण्डी समिति के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया गया है।

आई० डी० कौशिक,

एच० सी० एस०,

प्रधान अधिकारी एवं
अतिरिक्त कलेक्टर, करनाल।